

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 159 / 11-सी-FP/UP/Others/123011/2021, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 14, 2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद बरेली में बरेली-पीलीभीत मार्ग, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सिविल इन्कलेव (एयरपोर्ट) बरेली पर प्रस्तावित 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र हेतु 33 केवी लाइन भूमिगत डाले जाने में प्रभावित 0.0714 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/123011/2021)

सन्दर्भ:- उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-92/81-2-2021-800(88)/2021, दि०-11.06.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक-15/14-1, दि० 03.07.2021 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख की एक प्रति इस अग्नय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 159 / 11-सी FP/UP/Others/123011/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली
- 3- अधिष्ठासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, बरेली।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

oll